गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 नं. 25 के अन्तर्गत स्थापित)

क्रमांक 399 / विकास / 2023

बिलासपुर, दिनॉक 22/06/2023

कार्यालयीय ज्ञाप

कार्यालयीय ज्ञाप क्रमांक 396 / विकास / 2023, दिनांक 19 / 06 / 2023, सक्षम अधिकारी ने भारत के जी–20 प्रेसीडेंसी बैनर के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पोर्टल में अपलोड एवं निर्धारित फार्मेट में जानकारी प्रेषित करने हेतु अधिष्ठाता छात्र कल्याण को कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठातागणों, विभागाध्यक्षाओं, नियंत्रक अधिकारियों, मीडिया प्रकोष्ठ, जनसंपर्क अधिकारी इत्यादि को सूचित करना है कि आपके विभाग के द्वारा भारत के जी–20 प्रेसीडेंसी बैनर के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उससे संबंधित जानकारी (फोटो / वीडियो / बाईटस / रीलस) मीडिया क्लीपिंग इत्यादि की प्रति अनिवार्य रूप से कार्यक्रम समन्वयक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय में प्रेषित करना चाहें, ताकि आपके विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की जानकारी शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल में अपलोड किया जा सके एवं जानकारी समय–समय पर निर्धारित फार्मेट में प्रेषित भी किया जा सके।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रतिलिपिः

1. कुलपति जी के सचिव गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को माननीय कुलपति जी को कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठातागणों / समस्त विभागाध्यक्षो / समस्त नियंत्रक अधिकारियों, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी मिडिया प्रकोष्ठ / जनसंपर्क अधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. प्रभारी वेबसाईट, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

सहायक कुलसचिव (विकास)